

परिशिष्ट-“अ”

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 7917 द्वारा श्री जालम सिंह पटेल

शिकायती पत्र के संबंध में बिन्दुवार की गई जानकारी

क	शिकायत के बिन्दु	कृत कार्यवाही
1	ग्राम पंचायत अमोदा, बंदरोहा, डोंगरगांव के पंचायतों के सभी निर्माण कार्य एवं शौचालय की जांच।	सहायक यंत्री मनरेगा जनपद पंचायत नरसिंहपुर को जांच कार्य सौंपा गया। जांच प्रचलित है। जांचोपरांत निष्कर्ष अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
2	ग्राम पंचायत सिंहपुर, बचई, गोरखपुर एवं ऊसरी में स्वकराधान की राशि की जांच।	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नरसिंहपुर को जांच कार्य सौंपा गया। जांचोपरांत निष्कर्ष अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
3	ग्राम पंचायत बकोरी के ग्राम भंडारदेव में आदिम जाति कल्याण विभाग नरसिंहपुर से पुलिया निर्माण में अनियमितताओं की जांच।	कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा नरसिंहपुर को जांच कार्य सौंपा गया। जांचोपरांत निष्कर्ष अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
4	जनपद पंचायत नरसिंहपुर की साधारण सभा की बैठक दिनांक 09.10.2015 के निर्णय अनुसार श्रीमति निधि खेमरिया का स्थानान्तरण अन्य जनपद में करने का निर्णय लिया गया, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।	म.प्र.शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संविदा कर्मियों के लिए नवीन संविदा नीति दिनांक 01.12.2015 में स्थान परिवर्तन (स्थानान्तरण) संबंधी कोई प्रावधान नहीं है। अतः स्थानान्तरण किया जाना संभव नहीं है।

*Signature*  
21/03/16

संयुक्त संचालक (शिका.)

पंचायत राज संचालनालय

मध्यप्रदेश, भोपाल